भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लैटर

जनवरी, 2020

मुख्य बातें

डॉ. आर.एस. शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा गोवा, भारत में 18–21 दिसंबर, 2019 के दौरान स्पेक्ट्रम प्रबंधन पर आयोजित एसएटीआरसी कार्यशाला को संबोधित करते हुए

1. सिफारिशें

1.1 भादूविप्रा ने 24.12.2019 को ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सर्विसेज के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर सिफारिशें जारी की हैं (भादूविप्रा की दिनांक 16.12.2016 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से दिनांक 10.10. 2019 के पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ है)।

दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2016 में ऑडीयोटेक्स/वॉयस मेल/यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विसेज (यूएमएस) के लिए लाइसेंस जारी करने के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने के लिए भादूविप्रा से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, भादूविप्रा ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, 16.12.2016 को ''ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सर्विसेज हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' के लिए सिफारिशें जारी की थी।

2. हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने टिप्पणी की है कि इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए भादूविप्रा की 16.12. 2016 की सिफारिशों के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। दूरसंचार विभाग ने (1) वित्तीय बैंक गारंटी (2) पैनल प्रावधान और (3) मौजूदा ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल/यूएमएस लाइसेंस अनुबंध/लाइसेंस में टीईसी विशिष्टियों से संबंधित मुद्दों पर भादूविप्रा से सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

3. प्राधिकरण ने विचार–विमर्श के बाद, "ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सर्विसेज हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क" पर भादूविप्रा की सिफारिशों पर पत्र के लिए प्राप्त प्रस्तावित उत्तर को स्वीकृति दी है।

4. भादूविप्रा के दिनांक 24.12.2019 के पत्रांक 406–1/2016–एनएसएल– I, जो सचिव (टी), दूरसंचार विभाग को भेजा गया था, के साथ उपरोक्त सिफारिशें दूरसंचार विभाग को उसके विचारार्थ भेजी हैं।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_24122019.pdf

Newsletter

2. विनियम

2.1 भादूविप्रा ने दिनांक 17.12.2019 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क(पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019" जारी किया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 17 दिसंबर, 2019 को "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019" जारी किया, जो वायरलेस से वायरलेस डोमेस्टिक कॉल समाप्ति शुल्क के संबंध में बिल एंड कीप (बीएके) व्यवस्था लागू होने की तिथि में संशोधन निर्दिष्ट करता है।

2. विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) वायरलेस से वायरलेस डोमेस्टिक कॉल के लिए समाप्ति शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक प्रति मिनट 0.06 रु. (केवल छह पैसे) ही रहेगा।

ख) 1 जनवरी, 2021 से वायरलेस से वायरलेस डोमेस्टिक कॉल के लिए समाप्ति शुल्क शून्य होगा।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_IUC_17122019.pdf

3. परामर्श पत्र

3.1 भादूविप्रा ने 31.12.2019 को वायरलाइन पहुंच सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर ड्राफ्ट सिफारिशों पर एक परामर्श जारी किया था।

लाइसेंसधारक पहुंच सेवाएं प्रदान करने के लिए रोल–आउट दायित्वों और अन्य लाइसेंस शर्तों को मानने के लिए बाध्य हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी लागू प्रणालियों का व्यावसायिक सेवाओं के शुरू होने से पहले परीक्षण किया जाए, क्योंकि लाइसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी सेवा लाइसेंसदाता या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) द्वारा तय सेवा की गुणवत्ता के मानकों (क्यूओएस) और अन्य शर्तों को पूरा करती है ।

Newsletter

2. दूरसंचार विभाग ने 9 सितंबर 2016 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल द्वारा पालन की जा रही पूर्ववर्ती पद्धतियों के आधार पर लाइसेंसधारकों द्वारा नेटवर्क परीक्षण किया जा रहा है; और सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ऐसे लाइसेंसधारकों द्वारा टेस्ट सिम कार्ड जारी किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए जारी वर्तमान लाइसेंस, लाइसेंसधारकों द्वारा सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के लिए किसी भी समय अवधि को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। इसलिए, दूरसंचार विभाग ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह व्यावसायिक लॉन्च से पहले परीक्षण उद्देश्य के लिए उपभोक्ताओं के नामांकन, परीक्षण अवधि की समयावधि आदि सहित सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क के परीक्षण पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। समुचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, भादूविप्रा ने 04.12.2017 को अपनी सिफारिशें जारी की । दूरसंचार विभाग द्वारा इसे स्वीकार किया गया और मोबाइल सेवाओं के लिए मानदंडों को लागू किया गया । अब दूरसंचार विभाग ने वायरलाइन सेवाओं के लिए इसी तरह की सिफारिशें मांगी हैं।

3. तदनुसार, 31.12.2019 को "वायरलाइन पहुंच सेवाओं के व्यावसायिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर ड्रॉफ्ट सिफारिशें'' जारी की गई हैं, जिसमें हितधारकों से 30.01.2020 और 13.02.2020 तक क्रमशः लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां मांगी गई हैं।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/CP_31122019.pdf

3.2 "विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना'' पर पूर्व–परामर्श पत्र

नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी (एनडीसीपी), 2018, अपने 'प्रोपेल इंडिया' 'मिशन के तहत 'निवेश और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था में सुधार करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों (जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सर्विसेज और एप्लिकेशन लेयर) की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना, इस कार्यनीति को पूरा करने के की कार्य–योजनाओं में से एक है। इस संबंध में, दूरसंचार विभाग ने 8 मई, 2019 के अपने पत्र में भादूविप्रा से विभिदेक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 9 दिसंबर, 2019 को ''विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाना'' पर एक पूर्व–परामर्श पत्र जारी किया गया था। पूर्व–परामर्श पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

Newsletter

4. खुला मंच चर्चा

4.1 23 दिसंबर 2019 को "दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना" संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 23.12.2019 को "दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना" संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया ।

23 दिसंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित "दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण/विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना" संबंधी परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओएचडी) की तस्वीरें

5. कार्यशाला

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सीएजी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और अन्य हितधारकों में क्षमता का विकास करने के लिए विशाखापत्तनम में उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूहों (सीएजी) की क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भादूविप्रा द्वारा बीते दिनों में उठाए गए नए कदमों पर चर्चा की।

इस कार्यशाला में सीएजी ने दूरसंचार उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने, विभिन्न उपभोक्ता शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी करने और अपीलों के समाधान में उनके संगठनात्मक प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की । दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने प्रतिभागियों को उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण की दिशा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों, उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों और पहुंच बढ़ाने के लिए विकसित किए गए विभिन्न मोबाइल ऐप के बारे में विस्तार से बताया ।

6. अन्य सूचना

6.1 31 अक्टूबर, 2019 को दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़ें।

विवरण	वायरलैस	वायरलाइन	योग (वायरलैस+वायर लाइन)
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	662.92	18.76	681.69
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	520.48	2.68	523.16
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1183.40	21.45	1204.85
समग्र टेली–घनत्व (%)	89.55	1.62	91.17
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	56.02%	87.49%	56.58%
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	43.98%	12.51%	43.42%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	625.00	19.08	644.08

अक्टूबर, 2019 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या 981.19 मिलियन थी।

अक्टूबर, 2019 के दौरान, 4.08 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए अनुरोध किए। एमएनपी सुविधा शुरू होने से लेकर अक्टूबर, 2019 के अंत तक कुल 461.73 मिलियन उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

6.2 को इंटरऑपरेबल सेट बॉक्स संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणी प्राप्त करने की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में 9 दिसंबर 2019 की प्रेस विज्ञप्ति।

11 नवंबर 2019 को डिजिटल टीवी प्रसारण सेवाओं के लिए 'इंटरऑपरेबल सेट बॉक्स' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2019 तक और प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग की थी।

6.3 दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) के कार्यान्वयन के संबंध में 3 दिसंबर 2019 की प्रेस विज्ञप्ति ।

भादूविप्रा ने 13 दिसंबर 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018, जारी किया था, जिसमें मूल दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियम 2009 (2009 का 8) में संशोधन किया गया था। संशोधित एमएनपी प्रक्रिया 16 दिसंबर, 2019 से लागू हो गई है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सातवें संशोधन विनियमों के माध्यम से यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जनरेट करने की प्रणाली में एक बड़े बदलाव का प्रावधान किया गया है, 3 दिसंबर 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ 7वें संशोधन के प्रावधानों और परिणामी संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है:

(1) पोर्टिंग की पात्रता शर्तों की पूर्व–वैधता मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता (एमएनपीएसपी) द्वारा यूपीसी जनरेट करने का निर्धारण करेगी, ताकि नए फ्रेमवर्क में सुगम पोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके, जिससे मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए पोर्टिंग प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बन सके।

(2) नई प्रक्रिया के अनुसार, यूपीसी की वैधता जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के एलसीए, जहां यूपीसी की वैधता अभी भी 30 दिन रहेगी, को छोड़कर सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एलसीए) के लिए 4 दिन की होगी, होगी।

(3) इंट्रा–लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (इंट्रा–एलएसए) के व्यक्तिगत पोर्टिंग अनुरोधों को 3 कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा; जबकि इंटर–लाइसेंस सेवा क्षेत्र (इंटर–एलएसए) और कॉर्पोरेट श्रेणी (इंट्रा–एलएसए और इंटर–एलएसए सहित) के तहत सभी पोर्टिंग अनुरोधों को 5 कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा।

(4) नए विनियमों के लिए कट–ओवर 16 दिसंबर, 2019 के 00:00:00 बजे से लागू हो गया है और मोबाइल कस्टमर यूपीसी जनरेट कर सकते हैं और 9 दिसंबर, 2019 के 17:59:59 बजे तक पहले की एमएनपी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी पसंद के प्राप्तकर्ता ऑपरेटर को अपना पोर्ट अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) तकनीकी कारणों से 10 दिसंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 के दौरान मोबाइल कस्टमरों के लिए एमएनपी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

6. नई प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित माइग्रेशन के दृष्टिगत, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी वेबसाइट, कॉल सेंटर, बिक्री केन्द्रों और फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से मोबाइल कस्टमरों को जागरूक करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए थे। जिससे कि अपने नंबर पोर्ट करने के इच्छुक मोबाइल कस्टमरों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

Newsletter

7. कार्यक्रम

7.1 दिसंबर, 2019 के दौरान, निम्नलिखित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र. सं.	स्थान	तिथि
1	हसन (कर्नाटक)	02.12.2019
2	डिब्रुगढ (असम)	03.12.2019
3	मानसा (पंजाब)	04.12.2019
4	कोलार (कर्नाटक)	04.12.2019
5	बैकुंठपुर, जिला–कोरिय्या (छत्तीसगढ़)	05.12.2019
6	पालघर (महाराष्ट्र)	12.12.2019
7	चेंगलपट्टू (तमिलनाडु)	20.12.2019
8	गिर सोमनाथ (गुजरात)	20.12.2019
9	हावड़ा (पश्चिम बंगाल	26.12.2019

फोटो गैलरी

02.12.2019 को हसन (कर्नाटक) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

03.12.2019 को डिब्रुगढ (असम) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

04.12.2019 को मानसा (पंजाब) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

04.12.2019 को कोलार (कर्नाटक) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

05.12.2019 को बैकुंठपुर, जिला–कोरिय्या (छत्तीसगढ़) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

12.12.2019 को पालघर (महाराष्ट्र) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

20.12.2019 को चेंगलपट्टू (तमिलनाडु) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

20.12.2019 को गिर सोमनाथ (गुजरात) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

20.12.2019 को हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों, परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर भी उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***

Newsletter